

कार्यालय कलेक्टर जिला बैतूल, एवं समुचित सरकार,
मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

क्रमांक 17अ-82/2017-18 परसठानी /10208/ बैतूल दिनांक 28-08-2018

घोषणा

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन-2013) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग) क्षेत्रफल(हे०में	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म0प्र0)	मुलताई	परसठानी	7.411	महिलावाडी जलाशय

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

अ0क्र0	खसरा नम्बर	रकबा हे० में	अर्जन की भूमि का रकबा हे० में	धारक का नाम
1	2	3	4	5
1	344/1	0.809	0.081	पिरथीलाल वल्द तुलसीराम, कमलाबाई, लीलाबाइ पिता तुलसीराम, आनदी बाई बेवा तुलसीराम सा.देह
	344/4	0.065	0.065	
2	344/5	0.329	0.329	बन्टी ना.बा. वल्द पिरथीलाल वली मां खुद सा. देह
3	498/6	1.901	0.041	अमरसिंग वल्द छननूलाल पंवार सा. देह
4	344/3	0.607	0.202	अनिता पिता श्यामराव पंवार सा.देह
	513/2	0.809	0.164	
5	520/2	0.279	0.021	श्यामू वल्द मंगरया सा.देह


6	522/2	0.081	0.081	सुनिता पति मनोहर सा.देह
	522/3	0.114	0.114	
7	523	0.639	0.364	चुन्नीलाल वल्द जगन महेरा सा. देह
8	524	0.465	0.365	चैत्या अमरसिंह जग्गू वल्द शिवपाल रुखमी बेवा शिवपाल दुपदी पिता शिवपाल सा. देह भूमि
9	528/1	0.100	0.052	दिनू वल्द जेतू सा. देह भूमि
10	528/2	0.709	0.474	माखन, सुरेश वल्द जेतू ज्योती बेवा जेतू टूकारी बेवा खुसया सा.देह भूमि
11	534/2	4.695	1.821	पैकी जौजे नान्हा सा. देह भूमि
12	535/1	1.821	1.821	देवकी पिता साहेबलाल, देवेन्द्र जितेन्द्र वल्द साहेबलाल, पंवार सा. देह टाटरू वल्द मौजी घुड़ी रोड़की वल्द मौजी, भागवत वल्द सावजी नखेली पिता सावजी, लोटन राजू, श्रीराम वल्द डेपल्या, भैया, मेका, सुनिता, ललीता पिता डेपल्या फुस्या बेवा डेपल्या नक्षोली पिता सावजी, मनीराम वल्द टाटरू
13	536	0.587	0.587	बल्लू, श्यामलाल वल्द गोरेलाल सा.देह
14	537/1	0.267	0.267	टाटरू वल्द मौजी धुरी, रोड़की पिता मौजी सा. देह भूमि
15	537/2	0.215	0.215	भागवत वल्द सावजी नखोली पिता सावजी पंवार सा.देह
16	537/3	0.080	0.080	लोटन, राजू, श्रीराम वल्द डेपल्या, भैया, मेका सुनिता, ललीता पिता डेपल्या, फुस्या बेवा डेपल्या वक्षोली पिता सावाजी भूमि स्वामी
17	537/4	0.267	0.267	मनीराम वल्द टाटरू पंवा सा.देह
कुलयोग :-			7.411	

(2)- चूंकि महिलावाडी जलाशय योजना के बांध, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3)- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

(4)- समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,


(शशांक मिश्र)

कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पृ0क्र0 17 अ-82/2017-18 परसठानी/10208 बैतूल दिनांक 28-08-2018

प्रतिालपि:-

- 1- उपनियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री केन्द्रीय मुद्रणालय, म0प्र0 भोपाल की ओर म0प्र0 राजपत्र भाग एक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
- 2- संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में) अग्रेषित। कृपया उक्त अधिसूचना का प्रकाशन दो दैनिक समाचार पत्रों में कर इस कार्यालय को अवगत कराने तथा समाचार पत्रों की प्रतियां भी भेजने का कष्ट करें।
- 3- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। अधिसूचना का प्रकाशन कार्यालयीन सूचना पटल पर करवाया जाकर पालन प्रतिवेदन तथा प्रकाशन की पेपर प्रतियां एक माह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
- 4- प्रभारी एन आई सी सेंटर बैतूल की ओर समूचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित।
- 5- प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 6- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 7- तहसीलदार मुलताई की ओर (तीन प्रतियों में) में अग्रेषित। एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति अर्जन हेतु प्रस्तावित स्थल पर चस्पा करावे एवं एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 8- जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (मू-अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करावें।
- 9- सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत परसठानी तहसील मुलताई जिला बैतूल (म0प्र0) की ओर उक्त प्रकाशन ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर करवाने हेतु अग्रेषित।

कलेक्टर बैतूल एवं समूचित सरकार
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

